न्यायाधीश एस. एस. निज्जर और एस. एस. सरोन, के समक्ष

नवाब सिंह और अन्य , — *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, — उत्तरदाताओं

सी. डब्ल्यू. पी. न 10668 सन् 1996

31 अगस्त 2005

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14,16 और 226 — पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 1963 (राज्य द्वारा अपनाया गया) हरियाणा) — Rl.12-हरियाणा सुपीरियर के लिए याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति न्यायिक सेवा — के निर्धारण के संबंध में विवाद इंटर से *वरिष्ठता याचिकाकर्ताओं, प्रत्यक्ष भर्तियों और प्रतिवादी 3, न्यायिक को बढ़ावा देते हैं अधिकारी — बदलने से पहले याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर नहीं उनके प्रतिबंध की वरिष्ठता — प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन — वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में मूल्यवान अधिकार नहीं हो सकते हैं प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन किए बिना प्रतिकूल प्रभाव —वरिष्ठता को प्रभावित करने वाली अधिसूचना को रद्द करते हुए याचिका की अनुमति दी गई याचिकाकर्ताओं के — हालांकि, उत्तरदाताओं ने नए सिरे से पारित करने के लिए स्वतंत्रता दी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करने के बाद आदेश.*

हेल्ड, लोक सेवक की वरिष्ठता एक पोषित अधिकार है. इसे सेवा

की शर्त और "एक महत्वपूर्ण" घोषित किया गया है उस पर एक". याचिकाकर्ताओं को उनकी वरिष्ठता से पहले नहीं सुना गया था 11 दिसंबर, 1995 की अधिसूचना से प्रतिकूल रूप से प्रभावित. हम रिट याचिका की अनुमति दें और 11 दिसंबर की अधिसूचना को रद्द करें, 1995. उत्तरदाताओं ने नए आदेशों को पारित करने के लिए स्वतंत्रता का पालन किया है प्राकृतिक न्याय के नियमों और प्रभावित पक्षों की सुनवाई के साथ.

(पैरा 15, 17 और 18)

अनुलेख. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ टी.पी.एस. चावला, एडवोकेट, याचिकाकर्ताओं के लिए.

रणधीर सिंह, वरिष्ठ डीएजी, प्रतिवादी सं. 1. जसवंत सिंह, प्रतिवादी के लिए वकील नं. 2.

राजिव अटमा राम, सुश्री मधु दयाल के वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 3.

निर्णय

न्यायाधीश एस.एस. निज्जर

(1) याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 3 सभी हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विसेज (इसके बाद "केएसजेएस" के रूप में संदर्भित) के सदस्य हैं। ये सभी वर्तमान में हरियाणा राज्य में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तें पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 1963 द्वारा शासित होती हैं, जैसा कि हरियाणा राज्य के लिए अपनाया गया है और समय-समय पर संशोधित किया गया है (इसके बाद इसे "1963 नियम" कहा जाएगा)। याचिकाकर्ताओं को सीधी भर्ती द्वारा एचएसजेएस में नियुक्त किया गया था। प्रतिवादी नंबर 3 को शुरू में हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में नियुक्त किया गया था, जिसे इसके बाद "एचसीएस (न्यायिक") कहा जाएगा। उपरोक्त 1963 नियमों के नियम 8 में प्रावधान है कि सेवा में भर्ती एचसीएस (न्यायिक) के उन सदस्यों के बीच पदोन्नति द्वारा की जाएगी जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो या सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी। नियम 8(ii) में प्रावधान है कि कैडर पदों की कुल संख्या में से 2/3 पर पदोन्नत अधिकारी और 1/3 पर सीधी भर्ती वाले अधिकारी तैनात किए जाएंगे। नियम में यह भी प्रावधान है कि एक पदोन्नत अधिकारी को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले किसी भी पद पर तब तक स्थानापन्न नियुक्ति दी जा सकती है जब तक कि सीधी भर्ती से नियुक्ति न हो जाए। सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता, निरंतरता की तारीख पर ध्यान दिए बिना, सेवा में किसी पद पर निरंतर सेवा की अवधि के आधार पर निर्धारित की जाएगी। नियम 2(1) के

तहत, "सेवा में नियुक्ति" का अर्थ है "किसी कैडर पद पर नियुक्ति, चाहे वह स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न आधार पर या परिवीक्षा पर हो"। "कैडर पद" का अर्थ है "सेवा में कोई पद चाहे स्थायी हो या अस्थायी"। "सेवा के सदस्य" को नियम 5 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है "एक व्यक्ति जो कैडर पद रखता है, चाहे वह स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न आधार पर या परिवीक्षा पर हो" या "एक व्यक्ति जो प्रावधानों के अनुसार कैडर पद पर नियुक्त किया गया हो"। नियमों में, "पदोन्नत अधिकारी" को नियम 6 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है "एक व्यक्ति जो सीधी भर्ती है और एक कैडर पद धारण कर रहा है"। इसके अलावा नियम 6(बी) के तहत, "एक पदोन्नत अधिकारी" का अर्थ है "एक व्यक्ति जो एचसीएस (न्यायिक शाखा) में पदोन्नति द्वारा किसी सेवा में नियुक्त किया जाता है"। नियम 7 के तहत "सेवा" को "हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा" के रूप में परिभाषित किया गया है। तत्काल संदर्भ के प्रयोजन के लिए, उपरोक्त नियमों का उद्धरण निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है: -

नवाब सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य3

(न्यायाधीश एस.एस. निज्जर)

तैयार संदर्भ के उद्देश्य, पूर्वोक्त नियमों का अर्क के तहत पुन: पेश किया जा सकता है। —

नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**:- (1). **इन नियमों को पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रुल्स**, 1963 **कहा जा सकता है।** (2) **वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।**

2. परिभाषा:- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(1) 'सेवा में नियुक्ति' का अर्थ है कैडर पद पर नियुक्ति, चाहे स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न आधार पर, या परिवीक्षा पर;

(2) 'कैडर पद' का अर्थ है (सेवा में कोई पद, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी)।

3. अपनी व्याकरणिक भिन्नता और सजातीय अभिव्यक्तियों के साथ 'सीधी भर्ती' का अर्थ एक व्यक्ति है: -

(ए) जो सेवा में अपनी नियुक्ति के समय पहले से ही न्यायिक सेवा में नहीं था; या

(बी) जो नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार सेवा में नियुक्त किया गया है; 3ए. छोड़ा गया.

4. उच्च न्यायालय' का अर्थ पंजाब और हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय है।

5. 'सेवा के सदस्य' का तात्पर्य एक व्यक्ति से है-

(ए) जो इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले एक संवर्ग पद धारण करता है, चाहे वह स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न आधार पर या परिवीक्षा पर हो; या

(बी) जो के अनुसार कैडर पद पर नियुक्त किया गया है। इन नियमों के प्रावधान.

6. पदोन्नत अधिकारी' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है-

क) जो सीधी भर्ती नहीं है और इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न आधार पर या परिवीक्षा पर कैडर पद धारण कर रहा है; या

बी) जो हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) से पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त किया गया हो।

7. 'सेवा' का तात्पर्य हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस से है।

3. सेवा का गठन:- सेवा में निम्नलिखित शामिल होंगे-

क) न्यायपालिका को स्थायी रूप से आवंटित भारतीय सिविल सेवा के सदस्य;

बी) इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले, कैडर पदों को धारण करने वाले व्यक्ति, चाहे स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न आधार पर या परिवीक्षा पर हों; और

ग) इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवा में नियुक्त व्यक्ति।

4. नियुक्ति प्राधिकारी:- सेवा में सभी नियुक्तियाँ उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाएंगी।

8. सेवा में भर्ती: सेवा में भर्ती की जाएगी:-

(i) हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने कम से कम दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो और एक वर्ष या उससे अधिक की कुल अवधि के लिए निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक को धारण किया हो उस अवधि के दौरान पोस्ट अक्सर वर्षों:-

क) वरिष्ठ उप न्यायाधीश

बी) अतिरिक्त वरिष्ठ उप न्यायाधीश,

ग) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

घ) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या

ई) लघु वाद न्यायालय के न्यायाधीश;

बशर्ते कि उच्च न्यायालय हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के एक सदस्य को, जो सेवा प्रोफार्मा की सामान्य लाइन के बाहर काम कर रहा हो, वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दे सकता है, यदि उपयुक्त समझा जाता है और ऐसी नियुक्ति किए जाने पर ऐसा सदस्य इस प्रयोजन के लिए कार्य करेगा। इस खंड में, उस अवधि के लिए उक्त पद पर बने रहने के लिए माना जाएगा, जिसके लिए नियुक्ति जारी है, या।

ii) कैडर पदों की कुल संख्या में से, दो तिहाई, पदोन्नत अधिकारियों द्वारा और एक तिहाई सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाएंगे;

बशर्ते कि इस उपनियम में कोई भी बात सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले किसी भी पद पर हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के किसी सदस्य की स्थानापन्न नियुक्ति को तब तक नहीं रोकेगी जब तक कि सीधी भर्ती से नियुक्ति न हो जाए।

9. -11 xx xx xx xx

12. वरिष्ठता:- सेवा के सदस्यों की परस्पर वरिष्ठता, चाहे वे सीधे भर्ती किए गए हों या पदोन्नत अधिकारी हों, पुष्टिकरण की तारीख पर ध्यान दिए बिना, सेवा में किसी पद पर निरंतर सेवा की अवधि के आधार पर निर्धारित की जाएगी;

बशर्ते कि एक ही तिथि पर नियुक्त दो सदस्यों के मामले में, उनकी वरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी: -

i) सीधी भर्ती के मामले में, उम्र में बड़ा सदस्य छोटे से वरिष्ठ होगा;

ii) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में, उन नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की वरिष्ठता, जहाँ से उन्हें पदोन्नत किया गया था; और

iii) सीधी नियुक्ति द्वारा भर्ती किया गया सदस्य अन्यथा भर्ती किए गए सदस्य से वरिष्ठ होगा।

लघु शीर्षक और प्रारंभ। — (१) ये नियम हो सकते हैं पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 1963 कहा जाता है.

(२) वे अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे आधिकारिक राजपत्र में.

2. परिभाषा। — **में** ये नियम, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो की आवश्यकता है:

(1) `सेवा के लिए नियुक्ति 'का अर्थ है कैडर की नियुक्ति पोस्ट, चाहे स्थायी, अस्थायी या अपमानजनक आधार पर, या परिवीक्षा पर ;

() 'कैडर पोस्ट' का अर्थ है (एक पोस्ट, चाहे स्थायी हो या सेवा में अस्थायी).

(3) इसकी व्याकरणिक विविधताओं और संज्ञान के साथ `प्रत्यक्ष भर्ती अभिव्यक्ति का अर्थ है एक व्यक्ति, —

3 ए. छोड़ा गया.

(a) सेवा में उनकी नियुक्ति के समय कौन था पहले से ही न्यायिक सेवा में नहीं; या

(b) जो सेवा के अनुसार नियुक्त किया जाता है नियम 9 के प्रावधान ;

(४) 'हाई कोर्ट' का अर्थ है पंजाब राज्य के लिए उच्च न्यायालय और हरियाणा.

(5) `सेवा का सदस्य 'का अर्थ है एक व्यक्ति। —

(a) जो, इन के शुरू होने से ठीक पहले नियम एक कैडर पोस्ट रखते हैं, चाहे स्थायी पर, अस्थायी या अपमानजनक आधार या परिवीक्षा पर; या

(b) जो इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार एक कैडर पद पर नियुक्त किया जाता है.

(6) 'प्रचारित अधिकारी' का अर्थ है एक व्यक्ति, —

(ए) जो एक प्रत्यक्ष भर्ती नहीं है और एक कैडर पद धारण कर रहा है चाहे स्थायी, अस्थायी या अपमानजनक आधार पर या परिवीक्षा पर, तुरंत पहले इन नियमों की शुरुआत; या

(बी) जो से पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त किया जाता है

हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा).

(() 'सेवा' का अर्थ है हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस.

3. सेवा का संविधान .—द सेवा में — शामिल होगा

(a) भारतीय सिविल सेवा के सदस्य स्थायी रूप से आवंटित किए गए हैं न्यायपालिका को ;

(b) कैडर पदों पर रहने वाले व्यक्ति, चाहे स्थायी हों, अस्थायी या अपमानजनक आधार या परिवीक्षा पर, तुरंत इन नियमों के शुरू होने से पहले; तथा

(c) सेवा के अनुसार नियुक्त व्यक्ति इन नियमों के प्रावधान.

4. नियुक्ति प्राधिकरण .—सब सेवा में नियुक्तियाँ बनाया जाएगा द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल.

5-7 xx xx xx xx

8. सेवा में भर्ती .—भर्ती सेवा के लिए बनाया जाएगा: -

(i) हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने पूरा नहीं किया है दस साल से कम समय तक निरंतर सेवा जैसे कि और है एक वर्ष या उससे अधिक की कुल अवधि के लिए आयोजित किया जाता है,

कोई भी या दस की अवधि के दौरान निम्नलिखित पदों में से अधिक वर्ष: —

(a) वरिष्ठ उप-न्यायाधीश,

(b) अतिरिक्त वरिष्ठ उप-न्यायाधीश,

(c) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

(d) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या

(e) एक छोटे से कारण न्यायालय के न्यायाधीश :

बशर्ते कि उच्च न्यायालय के सदस्य को दे सकता है हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) बाहर काम कर रही है सेवा प्रोफार्मा की साधारण लाइन, वरिष्ठ के रूप में नियुक्ति अधीनस्थ-न्यायाधीश, यदि उपयुक्त और इस तरह पर विचार किया जाता है

नियुक्ति-के लिए इस तरह के सदस्य बनाया जा रहा है इस खंड का उद्देश्य, उक्त को माना जाता है उस अवधि के लिए पोस्ट जिसके लिए नियुक्ति जारी है, या.

(ii) प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा.

2. कैडर पदों की कुल संख्या में से, दो तिहाई, होगी पदोन्नत अधिकारियों द्वारा संचालित और प्रत्यक्ष द्वारा एक तिहाई रंगरूटों:

बशर्ते कि इस उप-नियम में कुछ भी नहीं रोका जाएगा हरियाणा सिविल के एक सदस्य की नियुक्ति किसी भी पद पर सेवा (न्यायिक शाखा) जो होनी है प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरा जाता है, जब तक कि एक गंभीर भर्ती नहीं होती है नियुक्त.

9-11।एक्सएक्सXX एक्सएक्सXX

12. वरिष्ठता.— के सदस्यों की वरिष्ठता अंतर सेवा, चाहे प्रत्यक्ष भर्ती हो या पदोन्नत अधिकारी, निर्धारित किया जाएगा सेवा में एक पद पर, निरंतर सेवा की लंबाई के बावजूद कोरफीमाटक की तारीख) ii .

बशर्ते कि एक ही पर नियुक्त दो सदस्यों के मामले में दिनांक, उनकी वरिष्ठता निम्नलिखित के रूप में निर्धारित की जाएगी: —

(i) प्रत्यक्ष भर्तियों के मामले में, सदस्य उम्र में बड़े छोटे से वरिष्ठ होंगे;

(ii) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में से नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की वरिष्ठता जिन्हें उन्होंने प्रचारित किया था; तथा

(iii) प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा भर्ती किया गया सदस्य होगा एक सदस्य के वरिष्ठ अन्यथा भर्ती.

2. अब हम पार्टियों के सेवा इतिहास और कुछ पिछले मुकदमेबाजी के संबंध में प्रासंगिक तथ्यों को देख सकते हैं। तीनों याचिकाकर्ताओं को 23.8.1989 को सीधी भर्ती के माध्यम से सेवा में नियुक्त किया गया था। 3.5.1988 को, एचसीएस (न्यायिक शाखा) से संबंधित 12 अधिकारियों को कार्यवाहक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। अधिकारियों ने क्रम संख्या 1 से 4 तक पदोन्नत अधिकारियों की सूची (अनुलग्नक पी-2) का उल्लेख किया, जिन्हें मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किया गया था। पदोन्नत अधिकारियों की सूची (अनुलग्नक पी-2) के क्रम संख्या 2 पर एक सुभाष चंद्र दुरेजा का उल्लेख किया गया था। प्रतिवादी नंबर 3 का नाम आदेश के क्रम संख्या 8 पर टिप्पणी के साथ अंकित है "श्री एसबी आहूजा, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश की पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, फरीदाबाद के रूप में प्रतिनियुक्ति के कारण हुई रिक्ति के खिलाफ। आदेश (अनुलग्नक) पी-2) में आगे उल्लेख इस प्रकार है:-

2. उपरोक्त पदोन्नतियाँ इस शर्त के अधीन हैं कि वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 की एसीआर में पदोन्नतों के संबंध में उनकी सत्यनिष्ठा पर संदेह न हो तथा ये "बी" प्लस (अच्छे) से कम न हों।

3. ये पदोन्नतियां नियमावली के नियम 8 के साथ पठित नियम 4 के तहत की गईं। इस आदेश से, यह स्पष्ट हो जाता है कि पहले चार अधिकारियों, अर्थात् पीएल खंडूजा, उप-हाश चंदर दुरेजा, जय देव चंदना और वेद प्रकाश अग्रवाल को पदोन्नत अधिकारियों के लिए रिक्त पदों पर नियुक्त किया गया था। प्रतिवादी संख्या 3 सहित अन्य 8 अधिकारियों को पदोन्नत कोटा में आने वाली रिक्तियों के विरुद्ध नहीं, बल्कि एचएसजेएस के कुछ सदस्यों की विभिन्न अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति के कारण उत्पन्न होने वाली अल्पकालिक रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किया गया था। इसके बाद, तीन और रिक्तियां निकलीं जो प्रमोटी के हिस्से में आ गईं। पहली रिक्ति वर्ष 1988 में फिर से उत्पन्न हुई जब श्री एपी चौधरी को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। आरएन बत्रा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और आरके गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति पर क्रमशः 30.11.1988 और 20.5.1989 को दो और रिक्तियां निकलीं। इन रिक्तियों की उपलब्धता पर आदेश दिनांक 3.5.1988 (अनुलग्नक पी-2) में उल्लिखित तीन और व्यक्तियों को इन रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत माना गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस ऑफिसर्स की वरिष्ठता 6.3.1992 को तय की गई थी। अधिसूचना संख्या 101/गज़.I/IV.P.10 दिनांक 6.3.1992 (अनुलग्नक पी-3) उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 447 Gaz.I/VI.P.10 दिनांक 15.10.1987 की निरंतरता में जारी की गई थी। एचएसजेएस के अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता को उसमें दिए गए क्रम में तय करना। इस अधिसूचना में, याचिकाकर्ताओं के नाम क्रमांक 7, 8 और 9 पर हैं, प्रतिवादी क्रमांक 3 पर क्रमांक क्रमांक 3 पर हैं। 10, पदोन्नत और सीधी भर्ती वाले लोगों के बीच 2/3 और 1/3 के अनुपात के अनुसार, क्रमांक I से 6 तक के अधिकारी पदोन्नत हैं, 7 से 9 सीधी भर्ती वाले हैं, 10 से 15 पदोन्नत हैं। जैसा कि पहले देखा गया था, एचसीएस (न्यायिक शाखा) से संबंधित

सुभाष चंदर दुरेजा को 3,5.1988 (अनुलग्नक पी -2) को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था, उन्होंने 20.11.1990 तक काम करना जारी रखा, जिस तारीख को वह थे वापस कर दिया गया। सुभाष चंदर दुरेजा ने 1991 की सीडब्ल्यूपी संख्या 2061 दायर करके अपने प्रत्यावर्तन को चुनौती दी। इस रिट याचिका को 17.11.1993 को एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध दायर लेटर्स पेटेंट अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद डिवीजन बेंच के उक्त फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुभाष चंदर दुरेजा की रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, 4.2.1992 को आयोजित इस न्यायालय की पूर्ण न्यायालय की बैठक में, निम्नलिखित निर्णय लिया गया: -

हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के अधिकारियों की वरिष्ठता की पुष्टि और निर्धारण के मामले पर रजिस्ट्रार के नोट के साथ विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि श्री एससी दुरेजा के लिए उचित स्थान पर एक स्थान आरक्षित रखा जाए और सर्वश्री/श्रीमती. निर्मल यादे, अरविंद कुमार, सुरिंदर सिंह, डीडी यादव, सीआर गोयल, एसडी आनंद, केके चोपड़ा, पीएल खंडूजा, जेडी चांदना, वीपी अग्रवाल, पीपी छाबड़ा, एसएसएस दहिया, बीके गुप्ता, नवाब सिंह, एसके सरदाना, एमएस सुल्लर, एलएन मित्तल , बीएल सिंगल, पीएल गोयल, बीएस शर्मा, टीसी गुप्ता, एनसी नाहटा, एमएल शर्मा, जीएल गोयल, आरसी गुप्ता को कार्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों से प्रभावी रूप से स्थायी किया जाए।

4. तदनुसार, पदोन्नत अधिकारियों के कोटे में उचित स्थान पर दुरेजा के लिए एक पद आरक्षित रखा गया। 6.3.1992 को एक अधिसूचना जारी की गई थी (अनुलग्नक पी-

3) जिसमें सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों की परस्पर वरिष्ठता तय की गई थी, प्रतिवादी संख्या 3 ने 24.4.1992 को एक अभ्यावेदन दायर किया जिसमें याचिकाकर्ता से अधिक वरिष्ठता का दावा किया गया था। उपरोक्त अभ्यावेदन को माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 2.6.1992 द्वारा खारिज कर दिया। उन्होंने उसी राहत का दावा करते हुए 9.2.1993 को फिर से एक अभ्यावेदन दायर किया। अभ्यावेदन पुनः अस्वीकार कर दिया गया। रिट याचिका के पैराग्राफ 7 से 9 के जवाब में, उच्च न्यायालय के प्रतिवादी नंबर 2-रजिस्ट्रार ने कहा है कि चूंकि डुरेजा द्वारा उनके प्रत्यावर्तन को चुनौती देने वाली रिट याचिका न्यायिक पक्ष में लंबित थी और पदोन्नत अधिकारियों के कोटे में एक पद था। उचित स्थान पर उसके लिए आरक्षित रखा गया था, दिनांक 24.4.1992 और 9.2.1993 के अभ्यावेदन में निहित प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा किए गए अनुरोध को उस समय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 3 ने 1995 की सीडब्ल्यूपी संख्या 1148 दायर की। उन्होंने रिट याचिका में कहा था कि उनके प्रतिनिधित्व दिनांक 9.2.1993 पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ था, भले ही उन्हें 15.3.1993 को व्यक्तिगत रूप से सुना गया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 3 ने केवल दो साल की देरी से उबरने के लिए पूरी तरह से अस्थिर रुख अपनाया था, जिसके दौरान उसने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि उसका प्रतिनिधित्व खारिज कर दिया गया था और अधिसूचना दिनांक में दर्शाई गई वरिष्ठता को स्वीकार कर लिया था। 6.3.1992 (अनुलग्नक पी-3)। रिट याचिका का निपटारा इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा 30,3,1995 को निम्नलिखित आदेश के साथ किया गया: -

आदेश देना:-

श्री बरया कांत, अधिवक्ता (श्री सीबी गोयल, अधिवक्ता के साथ) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम इस न्यायालय के रजिस्ट्रार को एक निर्देश के साथ रिट याचिका का निपटारा करते हैं कि वह याचिकाकर्ता को सुनवाई के परिणाम के बारे में सूचित करें जो कि मंजूर कर लिया गया था। इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर 15 मार्च 1993 को माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा याचिकाकर्ता को। यदि याचिकाकर्ता आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो वह कानून के अनुसार अपना उपचार करने के लिए स्वतंत्र होगा।

एसडी/- एपी चौधरी, न्यायाधीश।

30 मार्च, 1995 एसडी/- एचएस बराड़, न्यायाधीश।

5. डिवीजन बेंच के उपरोक्त निर्देशों के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 3 को मुख्य न्यायाधीश द्वारा 16.3.1993 को पारित आदेशों से पत्र दिनांक 1.4.1995 (अनुलग्नक पी -5) द्वारा अवगत कराया गया था। प्रतिवादी संख्या 3 को सूचित किया गया आदेश इस प्रकार था:-

1995 की सिविल रिट याचिका संख्या 1148 जिसका शीर्षक एलवी मित्तल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य है ।

उपर्युक्त रिट याचिका में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति एपी चौधरी और माननीय न्यायमूर्ति एचएस बराड़ शामिल हैं, के

दिनांक 30.3.1995 के निर्णय के अनुपालन में, आपको सूचित किया जाता है कि आपकी बात सुनने के बाद, निम्नलिखित हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के सदस्यों की वरिष्ठता के संबंध में आपके अभ्यावेदन पर माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा 16,3.1993 को पारित आदेश, न कि 15.3.1993 को।

सुना। अस्वीकार कर दिया।

एसडी/- रजिस्ट्रार

6. प्रतिवादी संख्या 3 ने 1995 की सीडब्ल्यूपी संख्या 6975 दायर करके उपरोक्त आदेश को चुनौती दी। उन्होंने दलील दी कि अधिसूचना दिनांक 25.4.1988 में अधिकारियों की पदोन्नति इस शर्त के अधीन थी कि वर्ष 1986-87 के लिए एसीआर में और 1987-88 में पदोन्नत व्यक्तियों के संबंध में, उनकी सत्यनिष्ठा पर कोई संदेह नहीं है और ये B+ (अच्छा) से कम नहीं हैं। यह शर्त राज्य सरकार द्वारा लगाई गई थी क्योंकि वर्ष 1986-87, 1987-88 के लिए एसीआर के अभाव में अधिकारियों को पदोन्नति पर विचार किया गया था। जब वर्ष 1986-87 और 1987-88 के लिए एसीआर दर्ज किए गए, तो डुरेजा बी+ या उससे ऊपर की एसीआर सुरक्षित करने में विफल रहे। इसलिए, दुरेजा को पदोन्नति के लिए अयोग्य माना गया। दुरेजा को वापस करने का आदेश दिया गया। जैसा कि पहले देखा गया था, प्रत्यावर्तन के उपरोक्त आदेश को दुरेजा ने 1991 की सीडब्ल्यूपी संख्या 2061 भरकर चुनौती दी थी। वह सुप्रीम कोर्ट तक मामला हार गए। इसके बाद, दुरेजा सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 3 ने रिट याचिका में दावा किया कि ऐसा माना जाता है कि दुरेजा ने दिनांक 25.4.1983 के आदेश के अनुसार कभी भी सुपीरियर न्यायिक सेवा में पद पर कब्जा नहीं किया था। इसलिए, प्रतिवादी नंबर 3 ने उस पद पर दावा किया जो दुरेजा द्वारा 4.5.1988 को उनके प्रत्यावर्तन की तारीख से और 1.6.1989 से

स्थायी रूप से धारण किया गया था। प्रतिवादी नंबर 3 के अनुसार, चूंकि याचिकाकर्ताओं को 23/24 अगस्त, 1989 से भर्ती किया गया था, इसलिए वे उनसे कनिष्ठ होंगे। इस रिट याचिका में, याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के रूप में शामिल किया गया था। उच्च न्यायालय ने मोशन नोटिस के जवाब में एक हलफनामा दायर किया जिसमें यह कहा गया था: -

8. वोंच्च न्यायालय द्वारा श्री एससी दुरेजा की एसएलपी को खारिज करने के साथ, माननीय न्यायाधीशों के दिनांक 4.2.1992 के निर्णय के अनुसरण में उचित स्थान पर उनके लिए जो रिक्ति/पद आरक्षित रखा गया था, वह अब चला जाएगा। अगले पदोन्नत अधिकारी को और इस प्रकार सर्वश्री पीएल खंडूजा, जेडी चांदना, वीपी अग्रवाल, पीपी छाबड़ा, एसएसएस दहिया और बीके गुप्ता को अब 3.5.88, 3.5.88, 3.5.88, 3.5.88 पर कैडर पदों पर समायोजित किया जाएगा। क्रमशः 5.5.88 और 1.12.88, और 31.5.1989 से श्री आरके गुप्ता की सेवानिवृत्ति पर उपलब्ध रिक्ति अब श्री एलएन मित्तल के पास जाएगी और अब श्री मित्तल 1.6.1989 से कैडर पोस्ट के खिलाफ समायोजित किए जाएंगे और अपना दावा करेंगे 3 सीधी भर्ती वाले सर्वश्री नवाब सिंह, एसके सरदाना और एमएस सुल्लर से ऊपर की वरिष्ठता, जिन्हें क्रमशः 24.8.89, 23.8.89 और 24.8.89 को कैडर पदों पर समायोजित किया गया है।

7. उपरोक्त के आधार पर रिट याचिका का निस्तारण निम्नलिखित आदेशों के साथ किया गया:-

याचिकाकर्ताओं के वकील ने बार में कहा कि रजिस्ट्रार द्वारा दायर लिखित बयान के पैरा संख्या 8 के मद्देनजर रिट याचिका को वापस ले लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया जाए। हम तदनुसार ऑर्डर करते हैं।

8. अधिसूचना संख्या 366 और 367 Gaz.I/VI.F.IO दिनांक 11.12.1995 को पिछली अधिसूचना संख्या 100 और 101 Gaz.I/VI.F.8, दिनांक 6.3.1992 के आंशिक संशोधन में जारी किया गया था। एवं क्रमांक 283 Gaz.I/VI.F.10 दिनांक 17.8.1994. दिनांक 11.12.1995 की इन अधिसूचनाओं में प्रतिवादी क्रमांक 3 को याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ दर्शाया गया है। यह वह अधिसूचना है जिसे याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस रिट याचिका में चुनौती दी है, जिसमें दिनांक 11.12.1995 (अनुलग्नक पी-8) की अधिसूचना को रद्द करने के लिए सर्टिओरी प्रकृति की रिट जारी करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 3 से कनिष्ठ बना दिया गया था।

9. ग्राउंड नंबर 13(i) में याचिकाकर्ता का यह तर्क है कि वरिष्ठता को नुकसान पहुंचाने से पहले उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था। इस आधार के उत्तर में, उच्च न्यायालय-प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर 1995 के सीडब्ल्यूपी संख्या 6975 में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था। आदेश जारी होने पर याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वकील के माध्यम से किया गया था। 6.10.1995 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया। अत: याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं था। ग्राउंड नंबर l3(iii) में, याचिकाकर्ता द्वारा यह दलील दी गई है कि दुरेजा द्वारा दायर रिट याचिका में, याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी नंबर 3 के बीच वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया गया है। यह भी दलील दी गई है कि

प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा दायर रिट याचिका में भी तथ्य या कानून के किसी भी प्रश्न का कोई निर्धारण नहीं किया गया था। जिन याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, वे प्रतिवादी नंबर 3 के दावे का बहुत विरोध कर रहे थे। हालाँकि, याचिकाकर्ता नंबर 1 को तामील होने और याचिकाकर्ता नंबर 2 और 3 को अपना जवाब दाखिल करने से पहले ही रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने मामले को स्वीकार करते हुए, याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत दावे का खंडन करने का अवसर देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि प्रतिवादी संख्या 3 को उनसे वरिष्ठ नहीं बनाया जा सकता है। पिछली दो रिट याचिकाओं के निर्णय याचिकाकर्ताओं के लिए बाध्यकारी नहीं हैं क्योंकि याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी नंबर 3 के बीच उठाए गए विवाद के संबंध में गुण-दोष के आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया गया था। गुण-दोष के आधार पर, यह दलील दी गई है कि दुरेजा को वास्तव में वर्ष 1988 में पदोन्नत किया गया था। वे नवंबर, 1990 तक इस पद पर रहे। उन्होंने हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में वेतन प्राप्त किया और कर्तव्यों का निर्वहन किया। याचिकाकर्ताओं ने ग्रेडेशन सूची में उनका नाम संलग्नक पी-9 के रूप में संलग्न किया था। इसलिए, पहली बार, डुरेजा द्वारा धारण किया गया पद नवंबर, 1990 में रिवर्ट होने पर रिक्त हो गया। चूंकि नवंबर, 1990 तक कोई पद उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्हें उस तिथि से पहले वरिष्ठता नहीं दी जा सकती। घड़ी को वापस नहीं घुमाया जा सकता. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उच्च न्यायालय की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 2 ने उपरोक्त याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि एसएलपी की बर्खास्तगी के बाद तक यह पद दुरेजा के लिए आरक्षित रखा गया था, जो उसने इस न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ दायर किया था। याचिकाकर्ताओं ने आगे दावा

किया कि पदोन्नत लोगों के साथ-साथ सीधी भर्ती वाले लोगों के अधिकार 23.8.1989 को स्पष्ट हो गए जब याचिकाकर्ताओं को सेवा में भर्ती किया गया था। उस समय, पदोन्नत लोगों के साथ-साथ सीधी भर्ती वाले लोगों के पास अपने-अपने कोटे के लिए निर्धारित पदों की संख्या ही थी। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति से पूर्व की तिथि से किसी भी व्यक्ति को पूर्वव्यापी प्रभाव से सेवा में सदस्य बनाने से याचिकाकर्ताओं के इस निहित अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा सकता है।

10. प्रतिवादी संख्या 3 ने एक अलग लिखित बयान दायर किया है। प्रतिवादी संख्या 2 की दलीलों को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दोहराया गया था। यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 के अधिकार, जो 1.6.1989 से सुपीरियर न्यायिक सेवा में स्थायी रिक्ति पर कब्जा करने आए थे, उस तारीख को स्पष्ट हो गए। वरिष्ठ न्यायिक सेवा के सदस्यों के बीच परस्पर वरिष्ठता के निर्धारण का उद्देश्य। चूंकि याचिकाकर्ताओं को 23/24 अगस्त 1989 से भर्ती किया गया था, इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 की वरिष्ठता प्रभावित नहीं हो सकती थी। प्रतिवादी संख्या 3 25.4.1988 से पदोन्नति आदेशों के परिणामस्वरूप सुपीरियर न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में लगातार कार्य कर रहा था। /4.5.1988. चूँकि वरिष्ठता किसी पद पर सेवा की निरंतर लंबाई के आधार पर निर्धारित की जानी है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 1.6.1989 से वरिष्ठता के निर्धारण के लिए अन्यथा भी हकदार है। आगे कहा गया है कि 22/25 अप्रैल, 1988 के आदेशों द्वारा स्थायी रिक्तियों के विरुद्ध चार सहित 12 अधिकारियों की पदोन्नति कुछ शर्तों के अधीन थी, जिन्हें दुरेजा ने पूरा नहीं किया था और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें वैध रूप से पदोन्नत किया गया था। इसलिए, प्रतिवादी नंबर 3, जिसे आदेश के क्रम संख्या 8 पर रखा गया था, रिक्तियों की घटना यानी 1.6,1989 के प्रभाव से पदोन्नति कोटा के भीतर स्थायी रिक्ति पर कब्जा करने के लिए आया

था। चूँकि किसी पद पर सेवा की अवधि वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए है, प्रतिवादी संख्या 3 स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ है। प्रतिवादी नंबर 3 ने आगे यह भी दलील दी कि प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों के कारण जो रिक्तियां हुईं, वे अल्पकालिक रिक्तियां नहीं थीं, बल्कि प्रकृति में स्थायी हैं और उन पर हमेशा हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा के सदस्यों का कब्जा रहता है। इसलिए, ये पद कुल कैडर शक्ति और रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति में स्थायी जोड़ हैं और वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए सेवा की लंबाई में गिना जाना चाहिए। अभ्यावेदन की अस्वीकृति के संबंध में, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा यह कहा गया है कि इसे बिना कोई कारण बताए, सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया था। जब प्रतिवादी संख्या 3 दिनांक 9,2,1993 के अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा था, तो उन्होंने व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने का अनुरोध किया था, हालाँकि, उन्हें कोई व्यक्तिगत सुनवाई दिए बिना ही इसे अस्वीकार कर दिया गया था। अत: 9.2.1993 के दूसरे अभ्यावेदन में उन्होंने केवल व्यक्तित्व के लिये प्रार्थना की थी! जिसकी सुनवाई तदनुसार उन्हें 15.3.1993 को दी गई थी, लेकिन उपरोक्त व्यक्तिगत सुनवाई के निर्णय के बारे में उन्हें कभी नहीं बताया गया। इसलिए, वह 1995 की सीडब्ल्यूपी संख्या 1148 दाखिल करने के लिए बाध्य थे। यह तभी था जब प्रतिवादी संख्या। 2 ने पत्र दिनांक 1.4.1995 द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के निर्णय से अवगत कराया था। इसलिए, प्रतिवादी नंबर 3 किसी भी तरह से रिट याचिका दायर करने से पहले देरी को कवर करने की कोशिश नहीं कर रहा था। आगे कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 को गलती से याचिकाकर्ताओं के नीचे रखा गया था। 1995 के सीडब्ल्यूपी संख्या 697 में दिए गए उत्तर में, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या के दावे को स्वीकार कर लिया।

11. हमने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और पेपर-बुक का अवलोकन किया है।

जैसा कि हमने ऊपर देखा, पक्षकारों के विद्वान वकील ने मौखिक दलीलों के माध्यम से इसे दोहराया है।

12. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पटवालिया का कहना है कि वरिष्ठता सूची को 6.3.1992 को अंतिम रूप दिया गया था। दुरेजा को दिनांक 6.11.1990 के आदेश द्वारा पहले ही वापस कर दिया गया था। इसलिए, अब उत्तरदाताओं के लिए यह तर्क देना संभव नहीं है कि 6.11.1990 को उनके प्रत्यावर्तन तक इस पद पर डुरेजा का कब्जा नहीं था। तथ्यात्मक रूप से, श्री पटवालिया द्वारा इस बात पर जोर दिया गया है कि दुरेजा की पदोन्नति को तब तक गैर नहीं कहा जा सकता जब तक कि इसे अंततः रद्द नहीं कर दिया जाता। यही कारण है कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा दो अवसरों पर खारिज कर दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 3 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय की रियायत पर प्रतिवादी नंबर 3 के पक्ष में पारित आदेश याचिकाकर्ताओं पर बाध्यकारी नहीं हैं। वास्तव में, दुरेजा द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, दुरेजा के लिए याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता का अनुमान लगाने के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया गया। उन्होंने केवल अपनी वापसी के आदेश को चुनौती दी थी और बहाली के लिए प्रार्थना की थी। इसलिए, संभवतः प्रतिवादी नंबर 3 को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि यदि डुरेजा के प्रत्यावर्तन के कारण हुई रिक्ति प्रतिवादी नंबर 3 को देने की मांग की जाती है, तो पदोन्नतियां उनके कोटे से अधिक

होंगी। इसलिए, डुरेजा द्वारा रखे गए पदों के विरुद्ध प्रतिवादी नंबर 3 के लिए स्थानापन्न सेवा पर विचार नहीं किया जा सकता है। 1995 के सीडब्ल्यूपी नंबर 6975 में दायर लिखित बयान में उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रियायत याचिकाकर्ताओं को बाध्य नहीं कर सकती है, किसी भी घटना में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिसूचना दिनांक 11.12.1995 को संक्षिप्त आधार पर रद्द किया जा सकता है। प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन किए बिना याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विभिन्न प्रस्तुतियों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने कई निर्णयों पर भरोसा किया। विद्वान वरिष्ठ वकील भारत संघ और अन्य पर भरोसा करते हैं। वी. दुर्गा दास और अन्य । 1978(2) एसएलआर 108, इस दलील के समर्थन में कि दुरेजा द्वारा उपभोग की गई रिक्ति अब प्रतिवादी संख्या को नहीं दी जा सकती। 3 पूर्वव्यापी प्रभाव से. वह एसएस ग्रेवाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हैं । 1993(2) एसएलआर 798, इस दलील के समर्थन में कि पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई पदोन्नति नहीं हो सकती। विद्वान वरिष्ठ वकील पर भरोसा करता है। बिहार राज्य और अन्य के मामलों में दिए गए निर्णय । वी. श्री अखौरी सचिन्द्र नाथ और अन्य। , वीरेंद्र चावला बनाम चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य । 1984(1) एसएलआर 452, केनरा बैंक बनाम वी.के.अवस्थी 2005(3) एसएलआर 421, एसएल कपूर बनाम जगमोहन और अन्य। , विनोद कुमार शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य । और अन्य. और विजय कुमार श्रोत्रिय बनाम यूपी राज्य और अन्य. , इस दलील के समर्थन में कि प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन किए बिना वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में याचिकाकर्ताओं के मूल्यवान अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा सकता है।

13. प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजीव आत्मा राम ने कहा कि अधिकारियों की वरिष्ठता तय करते समय पूर्ण न्यायालय की बैठक में दुरेजा के लिए रिक्ति गलत तरीके से आरक्षित कर दी गई थी। यदि पूर्ण न्यायालय की बैठक में यह गलती नहीं की गई होती, तो प्रतिवादी नंबर 3 उस पद पर कार्य करना शुरू करने की तारीख से वरिष्ठता का हकदार होता, जिस पर दुरेजा का कब्जा था। दुरेजा के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि उनकी पदोन्नति नियमों से परे थी। इसलिए, उनकी पदोन्नति पूरी तरह से निरर्थक थी। श्री आत्मा राम ने आगे कहा कि निर्विवाद तथ्यों को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं है। यदि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिया गया होता, तो भी परिणाम वही रहता और प्रतिवादी नंबर 3 उसे दी गई वरिष्ठता का हकदार होता। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को सुनना व्यर्थ की कवायद होगी। ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं को सुनने के बाद प्रतिवादियों को नए आदेश पारित करने का निर्देश देने वाली परमादेश की प्रकृति की रिट जारी नहीं करेगा। उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य के मामलों में दिए गए विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया है। , एम. वेमकटेस्वर्लु आदि बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य। आदि, एके शर्मा और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य। ,अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी! और अन्य. बनाम मंसूर अल्ट खान और एसएल कपूर बनाम जगमोहन और अन्य । . विद्वान वकील आगे भारत संघ और अन्य पर भरोसा करते हैं। वी. डॉ. एस. कृष्ण मूर्ति इस दलील के समर्थन में कि वरिष्ठता में किसी विशेष स्थान का कोई निहित अधिकार नहीं है। अत: याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर दिये जाने की आवश्यकता नहीं थी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि दुरेजा की पदोन्नति सशर्त थी। दुरेजा को "वैध रूप से पदोन्नत" नहीं माना गया है क्योंकि उनकी पदोन्नति नियमों/निर्देशों का

उल्लंघन थी। इसलिए, उन्होंने कहा कि कानून के अनुरूप नहीं होने वाली पदोन्नतियों को शुरू से ही अमान्य माना गया है। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने भूपिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया । (2005-2)140 पीएलआर 385 (पैरा 3) और बिजेंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य. (2005-2)140 पीएलआर 559 (पैरा 5 और 6)। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि स्थायी प्रकृति के पदों के विरुद्ध जिला न्यायाधीशों की प्रतिनियुक्ति के कारण कोटा की स्थिति को गलत तरीके से रिक्तियों के रूप में काम में लिया गया है। तय कानून के उल्लंघन में पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण को ध्यान में नहीं रखा गया है और ऐसी रिक्तियों को कैडर ताकत/कोटा में गिना जाना चाहिए। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने रुद्र कुमार सेन और अन्य के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है । बनाम भारत संघ और अन्य। , और एसएन ढींगरा और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य । एआईआर 2001 सुप्रीम कोर्ट 1535। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि प्रतिवादी नंबर 3 की पदोन्नति नियमों के अनुसार थी और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं था। प्रतिवादी संख्या 3 की सेवा निरंतर एवं बिना किसी रुकावट के जारी है। इसलिए, वरिष्ठता के निर्धारण के लिए इसे समग्रता में गिना जाना चाहिए। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है। अघोर नाथ डे और अन्य । 1993 (2) एसएलआर 528, डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर एसोसिएशन और अन्य। बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य । 1990(2) एसएलआर 769 (पैरा 8) और स्वपन कुमार पाल एवं अन्य। समिताभार चक्रवर्ती और अन्य । . विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि कोटे से अधिक पदोन्नत/नियुक्त व्यक्तियों को उनके कोटे के भीतर रखे जाने के

लिए वरिष्ठता में नीचे धकेलना पड़ता है। इस प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने एके सीतब्रामन और अन्य के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया है । बनाम भारत संघ और अन्य । 1975(1) एसएलआर 380 (पैरा 7)।

14. हमने तथ्यों के साथ-साथ पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों को भी विस्तार से नोट किया है। केवल तथ्य के साथ-साथ कानून के जटिल प्रश्नों को उजागर करने के लिए जिन पर याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता को उनके नुकसान के लिए बदलने से पहले उचित प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना था। यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि एक लोक सेवक की वरिष्ठता एक पोषित अधिकार है। इसे सेवा की एक शर्त और "उसमें एक महत्वपूर्ण शर्त" घोषित किया गया है। यह सिद्धांत वर्ष 1980 में बीएस यादव और अन्यके मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया था हरियाणा राज्य और अन्यउस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय दोहरे विवाद से निपट रहा था; सबसे पहले पंजाब और हरियाणा की सुपीरियर न्यायिक सेवाओं में नियुक्त सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के बीच वरिष्ठता के संबंध में; और दूसरा जिसके बारे में प्राधिकरण का जिला अदालतों और अधीनस्थ अदालतों पर नियंत्रण था इसका मतलब हैं कि अनुच्छेद २३५ द्वारा उच्च न्यायालय में निहित शक्ति और कला था। के परंतुक द्वारा राज्यपाल को प्रदत्त शक्ति के बीच संघर्ष । संविधान की धारा 309 , अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाती है। उपरोक्त विवाद के संदर्भ में, उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 47 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "वरिष्ठता सेवा की एक शर्त है और उसमें एक महत्वपूर्ण शर्त है"। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों द्वारा बार-बार यह कहा गया है कि जिस अधिकारी की वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उसकी वरिष्ठता में परिवर्तन

करने वाले किसी भी आदेश को पारित करने से पहले उसकी बात सुनी जानी चाहिए। हम केवल कुछ निर्णयित मामलों का संदर्भ दे सकते हैं जो महाप्रबंधक, नॉर्दर्न रेलवे, बड़ौदा हाउस नई दिल्ली और अन्य हैं। बनाम मदन लाल चोपड़ा 1971(1) एसएलआर 629, श्रीमती एस.भान, हेड मिस्ट्रेस बनाम निदेशक, सार्वजनिक निर्देश, हरियाणा और अन्य। 1982(1)-एसएलआर 782, भारत संघ एवं अन्य। बनाम मदन लाल, हेड क्लर्क, राजिंदरा अस्पताल, पटियाला 1971(2) एसएलआर 51, वीरेंद्र चावला बनाम चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य। 1984(1) एसएलआर 452 एवं तेजा सिंह एवं अन्य। वी. पंजाब राज्य और अन्य। 28 1983(1) एसएलआर 730। हालाँकि, हम इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान दे सकते हैं। मदन लाल, हेड क्लर्क (सुप्रा) के मामले में। पैराग्राफ 4, 6 और 7 में, यह निम्नानुसार देखा गया है: -

4. यह निर्विवाद है कि उक्त सूची में उनकी वरिष्ठता को क्रमांक 19 से 87 में बदलने से पहले प्रतिवादी को न तो राज्य सलाहकार समिति और न ही केंद्र सरकार द्वारा सुना गया था। चार क्लर्क, अर्थात् इंदर सिंह, सूरज प्रकाश, कृष्ण कुमार और राज कुमार (टुंड्रा) ने प्रतिवादी की वरिष्ठता तय करने के खिलाफ अभ्यावेदन दिया और यह उनके अभ्यावेदन के आधार पर था कि केंद्र सरकार द्वारा विवादित आदेश दिया गया था। प्रतिवादी को अभ्यावेदन की सामग्री के बारे में कभी भी केंद्र द्वारा सूचित नहीं किया गया था। सरकार या राज्य सलाहकार समिति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के दो प्राधिकारियों का हवाला देने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा: -

याचिकाकर्ता की वरिष्ठता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय मुझे यह कहने में जरा भी झिझक नहीं है कि इससे न केवल उसकी भविष्य में पदोन्नति की संभावना प्रभावित

होगी, बल्कि उसकी वर्तमान नौकरी की स्थिति भी प्रभावित होगी, जिसके लिए उसे इस निर्णय के परिणामस्वरूप सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से, सरकार के लिए यह अनिवार्य था कि वह या तो सीधे या सलाहकार समिति के माध्यम से याचिकाकर्ता को इस तरह से एक अवसर प्रदान करे कि वह अपना प्रतिनिधित्व कर सके या चारों के प्रतिनिधित्व के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सके। जिन लिपिकों को उन्होंने संयुक्त वरिष्ठता सूची में उनके संबंधित स्थानों के कार्यभार के विरुद्ध प्राथमिकता दी थी। याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि उसे ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया था और यह समझना संभव नहीं है कि सुनवाई के लिए अनुरोध न करने से मामले पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसे अपने खिलाफ ऐसे किसी भी प्रतिनिधित्व के अस्तित्व के बारे में सूचित भी किया गया था। संयुक्त वरिष्ठता सूची में उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के मामले में जो आदेश लगाए गए हैं, उन्हें उपरोक्त कारण से रद्द करना होगा।

6. अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि विशुद्ध रूप से प्रशासनिक आदेशों में भी, जिसमें नागरिक परिणाम शामिल हैं, प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन किया जाना चाहिए और उस व्यक्ति को एक अवसर दिया जाना चाहिए, जो उनसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाला है उड़ीसा राज्य बनाम डॉ. (मिस) बीनापानी देई 1967 एसएलआर 465 में, यह आयोजित किया गया था-

यह सच है कि आदेश की प्रकृति प्रशासनिक है, लेकिन जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, एक प्रशासनिक आदेश जिसमें नागरिक परिणाम शामिल हों, उसे राज्य के मामले के पहले प्रतिवादी, उसके समर्थन में साक्ष्य को सूचित करने के बाद प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। और पहले प्रतिवादी को सुनने और मिलने या साक्ष्य समझाने का

अवसर देने के बाद। माना जाता है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया था, हमारे फैसले में, उच्च न्यायालय ने राज्य के आदेश को रद्द करके सही किया था।

7. निःसंदेह, किसी सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता को उसके अहित के अनुरूप तय करने से उसकी भविष्य में सेवा में पदोन्नति की संभावनाएँ गंभीर रूप से प्रभावित होंगी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत, सूची में उनकी वरिष्ठता को उनके नुकसान के लिए संशोधित करने से पहले उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, राज्य सलाहकार समिति या केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवादी को ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया था और उन्हें ऊपर उल्लिखित चार क्लर्कों द्वारा उनके खिलाफ किए गए अभ्यावेदन के बारे में भी सूचित नहीं किया गया था। इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश अप्राप्य है।" इसी प्रकार, वीरेंद्र चावला (सुप्रा) के मामले में, इसे इस प्रकार माना गया है: -

4. उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि भले ही अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया हो, फिर भी वह इस अदालत में जो कुछ भी कहा, उससे अधिक कुछ नहीं कह सकता है, और इसलिए, लागू आदेश को रद्द करना पूरी तरह से व्यर्थ होगा और उत्तरदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपीलकर्ता को सुनने की औपचारिकता पूरी करें और फिर वही आदेश पारित करें।

5. हमारी राय में इस विवाद में कोई दम नहीं है. एसएल कपूर बनाम जगमोहनमें उनके आधिपत्य ने , आर. बनाम टेम्स मजिस्ट्रेटकी अदालत एक्स.पी. में निर्णय का अनुमोदन करते हुए उद्धृत किया। पोलेमिस (1974)1 डब्लूएलआर 1371 जिसमें आवेदक ने इस आधार पर एक वजीफा मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी सजा को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी का आदेश प्राप्त किया कि उसके पास अपना बचाव तैयार करने के

लिए पर्याप्त समय नहीं था और डिवीजनल कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि उसे अपने विवेक से राहत देने से इनकार कर देना चाहिए क्योंकि आवेदक के पास कोई बचाव नहीं था। आरोप के संबंध में, हम इस संबंध में ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. की निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियों को उद्धृत कर सकते हैं, जिन्होंने बेंच के लिए राय दी थी:

हमारे विचार में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में कोई बहिष्करणीय नियम नहीं है जो इस बात पर निर्भर हो कि यदि प्राकृतिक न्याय का पालन किया गया होता तो इससे कोई फर्क पड़ता या नहीं। प्राकृतिक न्याय का पालन न करना अपने आप में किसी भी व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह है और प्राकृतिक न्याय से इनकार का प्रमाण अनावश्यक है। यह उस व्यक्ति की ओर से आएगा जिसने न्याय से इनकार कर दिया था कि जिस व्यक्ति को न्याय से वंचित किया गया है वह पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं है।

15. ऊपर बताए गए तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिसूचना दिनांक 11.12,1995 (अनुलग्नक पी-8) द्वारा उनकी वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने से पहले याचिकाकर्ताओं को नहीं सुना गया था।

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और दिनांक 11.12.1995 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी-8) को रद्द करते हैं। यदि सलाह दी जाए तो उत्तरदाता प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करने और प्रभावित पक्षों को सुनने के बाद नए आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई लागत नहीं.

अभिस्वीकृति- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इससे समझ सके और किसी अन्य उद्देस्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यायहारिक और आधिकारिक निर्णय का

अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देस्य के लिए उपयुक्त होगा।

अनुराग यादव

प्रसिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TraineeJudicialofficer)

नारनौल, हरियाणा